प्रेषक,

शिक्षा निदेषक (माध्यमिक)
अध्यापक कल्याण प्रतिश्ठान,
उ0 प्र0, लखनऊ।

सेवा में,

1— जिला विद्यालय निरीक्षक,
उत्तर प्रदेष।
2— जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
उत्तर प्रदेष।

पत्रांक अ0क0 / 1925—2098 / 2006—07 दिनांक 30 नवम्बर, 2006

विशय :— राश्ट्रीय अध्यापक कल्याण प्रतिश्ठान में व्यवहृत होने वाली योजनाओं के सम्बन्ध में

महोदय / महोदया,

प्रायः देखा जाता है कि अध्यापक कल्याण प्रतिश्ठान की योजनाओं से जनपदीय अधिकारी पूर्णत भिज्ञ नहीं है। फलतः आवेदन पत्र अपूर्ण एवं प्रतिश्ठान की योजनाओं से इतर प्रयोजनों हेतु आवेदन पत्र संस्तुत कर दिये जाते हैं।

2— जनपदीय अधिकारियों के मार्गदर्षन एवं कार्यालयीय प्रयोग हेतु अध्यापक कल्याण प्रतिश्ठान में परिचालित योजनाओं का विवरण प्रेशित किया जा रहा है।

प्रदेषीय कार्यकारी समिति की योजनाओं

1— प्रदेष के कार्यरत अध्यापकों एवं उनके आश्रितों के गम्भीर रोग यथा— कैन्सर, दिल की बीमारी, गुर्दे की खराबी तथा ब्रेन ट्यूमर से ग्रसित होने पर उनके द्वारा किसी अस्पताल में इलाज कराये जाने पर अधिकतम रू0 30,000 / — (रूपये तीस हजार मात्र) की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। प्राइवेट डॉक्टरों या क्लिनिकों से उपचार कराने पर वित्तीय सहायता मन्जूर नहीं की जाती है। इस सहायता की मात्रा का निर्धारण अस्पताल को नकद भुगतान की गई धनराषि या दवाओं के क्रय आदि पर व्यय की गई धनराषि की मूल रसीदें प्रत्तुत करने पर किया जाता है। कार्यरत अध्यापकों के आश्रितों में पति या पत्नी एवं अव्यस्क बच्चों को षामिल किया जाता है।

2— धन की उपलब्धता होने पर सेवानिवृत्त अध्यापकों के गम्भीर रोगों से ग्रसित होने पर उनके स्वयं के इलाज के लिए भी अधिकतम रू0 30,000 / — (रूपये तीस हजार मात्र) की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। सेवानिवृत्त अध्यापकों के आश्रितों को यह सहायता सीमित संसाधनों के कारण प्रदान नहीं की जाती है।

3— सेवानिवृत्त एवं मृत अध्यापक पर आश्रित अधिकतम उसकी दो पुत्रियों के विवाह हेतु क्रमष : 5,000 / — एकमुष्त एवं रू0 10,000 / — एकमुष्त की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

4— माध्यमिक शिक्षा परिशद् की परीक्षाओं के समय कक्ष— निरीक्षकों, मूल्यांकन हेतु उत्तर पुस्तिकाओं के बण्डल ले जाते समय एवं नकल पकड़ने वाले उड़न दस्ते में संलग्न अध्यापकों पर अराजकतत्वों द्वारा प्राणघातक आक्रमण एवं ट्रक से दुर्घटनाग्रस्त हो जाने पर अध्यापक की असामयिक मृत्यु हो जाने की स्थिति में उनके आश्रित को तत्काल राहत प्रदान करने के उद्देष्य से एकमुष्त आर्थिक सहायता रू0 20,000 / — (रूपये बीस हजार मात्र) की धनराषि संबंधित जिला

created using
BCL easyPDF
Printer Driver
Click here to purchase a license to remove this image

विद्यालय निरीक्षक से वास्तविक स्थिति की आज्या एवं संस्तुति प्राप्त करने के पष्चात् औपचारिकतायें पूर्ण कराते हुए स्वीकृत की जाती है।

सर्वप्रथम आर्थिक सहायता के पात्र कार्यरत अध्यापक एवं उनके आश्रित है। इसके पष्चात् धन की उपलब्धता होने पर सेवानिव्त्त अध्यापकों के प्रकरणों पर विचार किया जाता है।

भवदीय,

(संजय मोहन)
शिक्षा निदेषक (माध्यमिक)
उ0प्र0, लखनऊ।

पृ0सं0 / अ0क0 / 1925–2098 / 2006–07 तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित :–

1– मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेषक, उ0प्र0।
2– मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेषक (बेसिक), उ0प्र0।

(संजय मोहन)
शिक्षा निदेषक (माध्यमिक)
उ0प्र0, लखनऊ।

created using
BCL easyPDF
Printer Driver
Click here to purchase a license to remove this image

विज्ञप्ति

जनपद इटावा/औरेया के अधीन संचालित हाईस्कूल/ इण्टरमीडिएट कालेजो के प्रधानाचार्य / प्रधानाचार्याओं को सूचित किया जाता है कि राश्ट्रीय अधयापक कल्याण प्रतिश्ठान में व्यवहृत होने वाली योजनाओं के सम्बन्ध में विधालय में कार्यरत अध्यापकों को अवगत कराना सुनिष्चित करें।

प्रदेषी कार्यकारी समिति की योजनायें :–

1. प्रदेष के कार्यरत अध्यापकों एवं उनके आश्रितों के गंभीर रोग यथा कैंसर दिल की बीमारी, गुर्दे की खराबी तथा ब्रेन ट्यूमर से ग्रसित होने पर उनके द्वारा किसी अस्पताल में इलाज करायें जाने पर अधिकतम रू0 30,000.00 (रूपये तीस हजार मात्र) की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस सहायता की मात्रा का निर्धारण अस्पताल को नकद भुगतान की गई धनराषि या दवाओं के क्रय आदि पर व्यय की गई धनराषि की मूल रसीदें प्रस्तुत करने पर किया जाता है। कार्यरत अध्यापकों के आश्रितों में पति या पत्नी एवं अव्यवस्त बच्चों को षामिल किया गया है।
2. धन की उपलब्धता होने पर सेवानिवृत्त अध्यापकों के गंभीर रोगों से ग्रसित होने पर उनके स्वयं के इलाज के लिए भी अधिकतम रू0 30,000.00 (रूपये तीस हजार मात्र) की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। सेवानिवृत्त अध्यापकों के आश्रितों को यह सहायता सीमित संसाधनों के कारण प्रदान नहीं की जाती है।
3. सेवानिवृत्ति एवं मृत अध्यापक पर आश्रित अधिकतम उसकी दो पुत्रियों के विवाह हेतु क्रमष : रू0 5,000.00 एक मुष्त एवं रू0 10,000.00 एक मुष्त की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
4. माध्यमिक शिक्षा परिशद् की परीक्षाओं के समय कक्ष–निरीक्षकों, मूल्यांकन हेतु उत्तर पुस्तिकाओं के बण्डल ले जाते समय एवं नकल पकड़ने वाले उड़न छसत में सलंग्न अध्यापकों पर अराजकतत्वों द्वारा प्राणघातक एवं ट्रक के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने पर अध्यापक की असामायिक मृत्यु हो जाने की स्थिति में उनके आश्रित को तत्काल राहत प्रदान करने के उद्देष्य से एकमुष्त आर्थिक सहायता रू0 20,000.00 (रूपये बीस हजार मात्र) की धनराषि सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक से वास्तविक स्थिति की आख्या एवं संस्तुति प्राप्त करने के पष्चात् औपचारिकतायें पूर्ण कराते हुए स्वीकृत की गई है।

सर्वप्रथम आर्थिक सहायता के पात्र कार्यरत अध्यापक एवं उनके आश्रित है। इसके पष्चात् धन की उपलब्धता होने पर सेवानिवृत्ति अध्यापकों के प्रकरणों पर विचार किया जाता है। कृपया तद्नुसार कार्यवाही करना सुनिष्चित करें।

जिला विद्यालय निरीक्षक
इटावा/औरेया

पृ0स0 विविध/ /2006–07 दिनांक 21.12कृ2006

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित।

1. शिक्षा निदेषक (मा0) अध्यापक कल्याण प्रतिश्ठान, उ0प्र0 लखनऊ।
2. संय क्त शिक्षा निदेषक, कानपुर मण्डल कानपुर।

created using
BCL easyPDF
Printer Driver
Click here to purchase a license to remove this image